न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 80 / 2025	2025 / 348	07.08.2025	30.04.2026

1– खुशी मौहम्मद पुत्र फजरूदीन जाति मेव निवासी ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 09.02.2025 नामान्तकरण संख्या 2271 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को खारिज किये जाने बाबत।

उपस्थित–
01. श्री सलीम मौहम्मद –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2271 निर्णय दिनांक 22.07.2025 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 435 / 1110 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की माता श्रीमती हमीदी पत्नी फजरू जाति मेंव निवासी शेखपुर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, हमीदी पत्नी फजरू जाति मेव निवासी शेखपुर मिन अपीलान्टं व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की सगी माता है, जिनका दिनाक 22.04.2021 को स्वर्गवास हो गया। मृत्यू उपरान्त मिन अपीलान्ट द्वारा अपनी विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु एक शपथ–पत्र जिसमें मृतक हमीदी के सभी वारिसान का उल्लेख कर मय दस्तावेजात के पटवारी हल्का को दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा दस्तावेजात के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2271 दिनाक 07.01.2025 को दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त नामान्तकरण यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि पटवारी हल्का पुनः पहचान पत्र सहित संशोधित नामान्तकरण समयावधि में निर्णय हेतु पेश करे। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, मुताबिक निर्णय दिनाक 09.02.2025 के संशोधित नामान्तकरण पेश करने हेतु आदेशित किया गया है, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 15.07.2025 को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जिससे बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में जो विलम्ब हुआ है, वह उपरोक्त कारणो से हुआ है। विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 25.07.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 05 माह दिवस 16 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब के मामलो मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रूख अपनाने

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

का सिद्वान्त प्रतिवादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 435/1110 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की माता श्रीमती हमीदी पत्नी फजरू जाति मेंव निवासी शेखपुर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, हमीदी पत्नी फजरू जाति मेव निवासी शेखपुर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की माता है, मृत्यू उपरान्त अपीलान्ट द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन–पत्र, शपथ–पत्र जिसमें मृतक हमीदी के वारिसान का उल्लेख कर पटवारी हल्का को पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2271 दिनाक 07.01.2025 को दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय दिनाक 09.02.2025 के द्वारा पटवारी हल्का पुनः पहचान पत्र सहित संशोधित नामान्तकरण समयावधि में निर्णय हेतु पेश करे। कारण खारिज किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 2271 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 09.02.2025 निरस्त किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण में पुनः जॉच कर, अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)